न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–04 / 2023

जीसीएमएस नं0 :–2023 / 19

उनवानः–

1. बलजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री दर्शन सिंह जाति जाट निवासी रूंध हाल निवासी कनाडा
2. मनजीत कौर पुत्री स्व0 दर्शन सिंह पत्नि श्री जसकरन जाति जाट सिख निवासी मौहर साहब तहसील फिलसैर जिला जलन्दर पंजाब
3. परमजीत कौर पुत्री स्व. दर्शन सिंह पत्नि देवेन्द्र सिंह निवासी जगदपुर तहसील फिलोर जिला फिलोर पंजाब
4. हरजिन्दर सिंह संधू पुत्र अमरीक सिंह जाति जाट सिख निवासी सरी, कनाडा
5. तलबिन्दर कौर पुत्री अमरीक सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी पंजधेरा जगतपुरा फिलोर जालन्दर
6. दलजीत कौर पुत्री अमरीन सिंह पत्नि अजीतपाल जाति जाट सिख पंजेटा जिला लुधियाना पंजाब
7. हरप्रीत कौर सन्धू पुत्री स्व0 अमरीक सिंह जाति जाट सिख निवासी सरी, कनाडा
8. बलविन्दर कौर पत्नि मौहन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी महमदपुर धौलपुर
9. सुरेन्द्र कौर पत्नि दर्शन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी रूंध तहसील व जिला धौलपुर
10. गुरूमत सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जाट निवासी रूंध तहसील धौलपुर

————————————वादीगण

बनाम

11. फतेह सिंह पुत्र निरंजन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी रूंध तहसील व जिला धौलपुर
12. तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

————————————— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए. वास्ते बंटवारा काश्त एंव स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – 1. श्री योगेश शर्मा ऐडवोकेट वादी की ओर से

दिनांक 02.05.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर ग्राम रूंध पटवार हल्का पंचगांव एंव ग्राम महमदपुर पटवार हल्का कस्वा धौलपुर नं0 3 में स्थित है। विवादित आराजी ख.नं. 3520, 3521, 3523, 3524, 3525, 3526, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555 कुल खसरा नम्बर 26 कुल रकवा 5.2728 है0 ग्राम रूंध पटवार हल्का पचगांव तहसील धौलपुर तथा ख.नं. 420, 433, 434, 437 कुल किता 04 रकवा 2.0358 है0 भूमि वाके ग्राम महमदपुर पटवार हल्का कस्वा धौलपुर नं. 3 में स्थित है। वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी के सहखातेदार है तथा संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्सो के अनुरूप काबिज है। करीब 1 साल से प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण को परेशान कर रहा है। दिनांक 09.09.2022 को प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी से झगडा किया तथा धमकी दी कि वह वादी को काश्त नही करने देगें तथा कब्जे काश्त से बेदखल कर देगा। वादी को सिवाय बंटवारा करना तथा अपना खाता पृथक करवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नही रहा है। अतः विवादित आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड किया जाकर खाता पृथक किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के हिस्से में आई आराजी के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा नही करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री अमित बघेला एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। तत्पश्चात् दिनांक 02.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 का काउन्टर क्लेम अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2076–79 की प्रति पेश की।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दुहराते हुए विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने हेतु दावा वादीगण प्रारंभिक डिक्री किये जाने का कथन किया।

बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया जाकर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2076–79 के मुताबिक वादीगण एंव प्रतिवादी संख्या 01 विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः खातेदार अन्य सहखातेदार से कृषि भूमि का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड कराने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः दावा वादीगण प्रारंभिक डिक्री किया जाकर प्रकरण में विवादित आराजी ख.नं. 3520, 3521, 3523, 3524, 3525, 3526, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555 कुल खसरा नम्बर 26 कुल रकवा 5.2728 है0 ग्राम रूंध पटवार हल्का पचगांव तहसील धौलपुर तथा ख.नं. 420, 433, 434, 437 कुल किता 04 रकवा 2.0358 है0 भूमि वाके ग्राम महमदपुर पटवार हल्का कस्वा धौलपुर नं. 3 का राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा प्रारंभिक डिक्री जारी हो। तहसीलदार धौलपुर को राज0 काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रकरण में विवादित आराजी के आदेशानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु परवाना जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर